ई–मेल/निबंधित

पत्र सं0–05/स्था0–18(मार्गदर्शन)–02/2026

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

नीरज धर,
उप सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/कटिहार।

पटना , दिनांक–

विषयः– जिला अनुकम्पा समिति के द्वारा क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी (सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन स्तर–01) के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुमति/विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संबंधित जिला अनुकम्पा समिति के द्वारा क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी (सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन स्तर–01) के पद पर अनुशंसित कुल–02 अभ्यर्थियों को निम्नवत् विवरणी के स्तम्भ–07 में अंकित मुख्य अभियंता परिक्षेत्रान्तर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएः–

क्र0	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र का नाम	कार्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति अभ्यर्थी का नाम	मृत कर्मी का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम/मृत्यु की तिथि	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन की तिथि	जिला/जिला अनुकम्पा समिति की अनुशंसा की तिथि	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवंटित मुख्य अभियंता परिक्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार	श्री अजय कुमार ऋषि	स्व0 हरिलाल ऋषि/कार्यालय परिचारी/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ/29.09.2023	18.11.2024	स्थापना उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का पत्रांक–883, दिनांक–19.09.2025	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार
2	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर	श्री मिथिलेश कुमार	स्व0 शम्भू मंडल/कार्यालय परिचारी/जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा/14.06.2024	12.08.2025	जिला अनुकम्पा समिति, दरभंगा का ज्ञापांक–18/मु0, दिनांक–22.12.2025	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर

2. संबंधित सभी मुख्य अभियंताओं से अनुरोध है कि कार्यालय परिचारी (सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन स्तर–01) के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी वांछित कागजातों/ अभिलेखों तथा शैक्षणिक योग्यता की गहन जाँच कर संतुष्ट हो लेने के बाद नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं नियुक्ति में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए नियुक्ति प्राधिकार को जिम्मेवार माना जाएगा।

3. इस प्रस्ताव में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(नीरज धर)
उप सचिव

ज्ञापांकः–05/स्था0–18(मार्गदर्शन)–02/2026 659 पटना, दिनांक– 10/02/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/02/26
उप सचिव

D/vk/2024/Rajendra ASO